[भारत के राजपत्र, (असाधारण), के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना संख्या 42 /2019- सीमाशुल्क (गै.टै.)

नयी दिल्ली, दिनांक 18 जून, 2019

सा.का.नि. ________(अ). - सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 28 की उपधारा 7(क) और धारा 124 के दूसरे परंतुक के साथ पठित धारा 157 की उपधारा (2) के उपवाक्य (च) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतदद्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा:-

1. संक्षिप्त शीर्षक, अनुप्रयोग तथा प्रारम्भ. — (1) इन विनियमों को सीमाशुल्क (पूरक नोटिस) विनियम, 2019 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **परिभाषाएँ.** – (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो,-

(क) 'अधिनियम'' से अभिप्राय सीमाशुल्क अधिनियम, (52 का 1962) 1962 से है;

(ख) 'बोर्ड' से अभिप्राय केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड से है।

(2) ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियाँ जिनका प्रयोग इन विनियमों मे तो हुआ हो लेकिन वे यहाँ परिभाषित ना हो कर उक्त अधिनियम में परिभाषित हैं, का वही अभिप्राय होगा जो इनके लिए उक्त अधिनियम में दिया गया हो।

3. **प्रयोज्यता.** - ये विनियम उन नोटिसो पर लागू होंगे जिनको इस अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) के उप-वाक्य (क) या उप-वाक्य (4) के अंतर्गत या धारा 124 के दूसरे परंतुक के अंतर्गत जारी किए गए हो। इनमे वे नोटिस भी आते हैं जिनका इन विनियमों के लागू होने की तारीख तक अधिनिर्णय ना हुआ हो।

4. **ढंग एवं परस्थितियाँ जिनके अंतर्गत पूरक नोटिस जारी किया जा सकता है.**— (1) जहां कोई भी नोटिस उक्त अधिनियम की धारा 28 या 124 के अंतर्गत जारी किया गया हो वहाँ किसी भी यथोचित अधिकारी के द्वारा निम्नलिखित परस्थितियों में पूरक नोटिस जारी किया जा सकता है:

(क) यदि ऐसे नोटिस में मांगी गयी राशि की प्रमात्रा में कोई अंतर हो, इसमे ऐसे मामले भी शामिल हैं जिनमे न्याय निर्णयन प्राधिकारी में बदलाव किए जाने की जरूरत हो;

(ख) उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत इस मामले मे आरोपित व्यक्ति के अलावा अन्य किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी दंडात्मक कार्यवाही को लागू कराने के लिए;

(ग) ऐसे नोटिस में उक्त अधिनियम की किसी अतिरिक्त धारा/ धाराओं को लागू कराने के लिए;

(घ) यदि ऐसा कोई अतिरिक्त साक्ष्य हो जिसका कि इस मामले पर खास प्रभाव पड सकता हो।

(2) जहां कोई नोटिस उक्त अधिनियम की धारा 28 या धारा 124 के अंतर्गत जारी किया गया हो, वहाँ पूरक नोटिस को उक्त अधिनियम की संगत धारा में निर्धारित समय सीमा के भीतर ही जारी किया जाएगा।

[फ़ाइल संख्या 450/47/2019-सीमाशुल्क IV]

ज़ुबैर रियाज़

(ज़ुबैर रियाज़)
निदेशक (सीमाशुल्क)